-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त नदीम पुत्र मूसा नि0 ग्राम खानपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम कलसिया नहर संग्राम नहर मलकपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 183/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ। नशा करने वाले लोगो को स्मैक बेचकर उससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरे नशे की जरूरते भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

नदीम पुत्र मूसा नि0 ग्राम खानपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2 हे0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1835 संदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 PB10DA3988 के चालक मौ0 शोएब पुत्र कासिफ निवासी मानकमऊ ईदगाह रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी के पिता श्री ओमप्रकाश उपाध्याय की ई-रिक्शा में टक्कर मार देना जिससे ई रिक्शा पलटने के कारण वादी के पिता को चोट आना व अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 127/25 धारा 281/106(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त मौ0 शोएब पुत्र कासिफ निवासी मानकमऊ ईदगाह रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ बस स्डैण्ड के पास** से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी।अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 शोएब पुत्र कासिफ निवासी मानकमऊ ईदगाह रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0 एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. का0 2411 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें मे 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 को वादी राजकुमार पुत्र समय सिंह निवासी मांझीपुर थाना बेहट सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत ग्राम शेरपुर पेलो मे नलकुप से केबिल चोरी के संबंध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 – 55/2025 धारा 305ए/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण चोरी,लूट,डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा अति0/निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उफरोक्त मे वांछित अभियुक्त **शुभम पुत्र जयपाल निवासी गण चानचक थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को शफीपुर गेट से गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में ही दिनांक 04.05.2025 को अभियुक्त अऱशद पुत्र शौकत निवासी चानचक थाना मिर्जापुर सहारनपुर व दिनाँक 08.04.2025 को 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिऱफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसो की कमी रहती है। मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लगभग 01 माह पूर्व खेत में बनी ट्यूबवेल से केबिल चोरी की थी। हम सभी केबिल चोरी कर उसके बेच देते हैं और जो रुपये मिलते हैं उसे आपस में बराबर- बराबर बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शुभम पुत्र जयपाल निवासी गण चानचक थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **उसमान पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उसमान पुत्र शकील निवासी ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक 07-05-25

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2020 को वादी उप निरी0 श्री दीपचन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. तस्लीम उर्फ गुल्लू पुत्र सलीम निवासी चान्दपुर थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के कब्जे से 330 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-11/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-809/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 07.05.2025 को तस्लीम उर्फ गुल्लू पुत्र सलीम को मु0अ0सं0-11/2020 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उप निरी0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल
पैरोकार का0- 378 बिजेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर।

dinank:07.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के तहत जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 31 मुकदमों में बरामद कुल 50,800/- रूपये की धनराशि को राजकीय कोष में जमा करायी व अन्य 06 मुकदमों के मालों को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थानों पर लम्बित मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **ऑपरेशन क्लीन अभियान** के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्री संजय कुमार नायब तहसीलदार सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में एवं श्री अतुल कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी की मौजूदगी में एवं थाना प्रभारी जनकपुरी श्री सतेन्द्र नागर, व0उ0नि0 श्री रनपाल सिहं व हेड़ मोहर्रिर 50 विशाल मलिक थाना जनकपुरी सहारनपुर के द्वारा **दिनांक 07.05.2025 को वर्ष 2016 से 2022 के जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 31 मुकदमों में कुल 50800/- रूपये की धनराशि राजकीय कोष में जमा करायी गयी और अन्य 06 मुकदमों से सम्बन्धित माल एवं सट्टा पर्चा, गत्ता, पैंसिल** को थाना परिसर में एक तसले में रखकर विनिष्टीकरण कराकर कुल 37 अभियोगों के माल का निस्तारण किया गया।

विनिष्टिकरण कराये गये माल का विवरणः-

- जुआ अधि0 के अभियोंगो से सम्बन्धित सट्टा पर्चा, गत्ता, पैंसिल
- 06 अभियोगो से सम्बन्धित माल

माल निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यो के नाम–

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर
2. श्री संजय कुमार नायब तहसीलदार सदर, सहारनपुर
3. श्री अतुल कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर
4. श्री सतेन्द्र नागर, प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी, सहारनपुर
6. व0उ0नि0 श्री रनपाल सिहं, व0उ0नि0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर
7. हेड़ मोहर्रिर 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी, सहारनपुर